उनवानः—हीरालाल बनाम सरकार

(न0 64/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजू:—5.6.2024

मु0न0:—64/2024

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

हीरालाल पुत्र श्री राम जाति बैरवा निवासी रामपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(वादी)

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती

उपस्थितिः— श्री नन्दराम बैरवा एड0 वादी

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय

दिनांकः— 31.07.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लुहारखेडा की खाता सं0 137 में दर्ज आराजी हाल ख0नं0 166 रकबा 1.79 है0, ग्राम लुहारखेडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी में स्थित है। वादी के मृतक पिता श्री राम 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के मुताबिक जमाबंदी अन्य सहखातेदार काश्तकार हैं। वादी के पिता श्री राम पुत्र पॉचू राम के स्थान पर श्रीया पुत्र पांच्या दर्ज कर दिया, जो गलत है। उक्त वादी के हाल रिकार्ड के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी एवं वादी के पिता श्री राम पुत्र पॉचू राम के स्थान पर हीरालाल पुत्र श्री राम दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वादी के समस्त दस्तावेजों में हीरालाल पुत्र श्री राम दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज हुआ है जिनके अभाव में वादी को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है वादी वाका दिनांक 2.5.2024 को तहसील कार्यालय बालघाट में नायब तहसीलदार के समक्ष पेश हुआ तो उन्होंने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा इसलिए दावा इन्द्राज दुरुस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर इस आश्य की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी ख0नं0 166 रकबा 1.79 है0, ग्राम लुहारखेडा में वादी एवं वादी के पिता के नाम श्रीया पुत्र पांच्या के स्थान पर हीरालाल पुत्र श्री राम दर्ज करने के तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाव पेश किया कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात की खातेदारी ग्राम लुहारखेडा की आराजी ख0नं0 166 रकबा 1.79 है0 पर श्रीया पुत्र पांच्या हिस्सा 1/3 जाति बैरवा दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से में अन्य मुताबिक जमाबंदी सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता श्रीया पुत्र पांच्या की मृत्यु हो जाने पर वादी हीरालाल पुत्र श्री राम मुताबिक हिस्सा काश्त है अतः वादी अपने पिता का नाम श्रीराम पुत्र पाचूराम दर्ज करवाना चाहता है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादी के पिता का नाम श्रीया पुत्र पांच्या जाति बैरवा दर्ज रिकार्ड है जबकि वादी के पिता का सही नाम श्री राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:43 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

उनवानः—हीरालाल बनाम सरकार

मु0न0 64/2024

पुत्र पॉचू राम जाति बैरवा है वादी के समस्त दस्तावेजों में हीरालाल पुत्र श्री राम जाति बैरवा का अंकन है। इसलिए वर्णित आराजीयात में वादी के पिता नाम श्रीया पुत्र पांच्या के स्थान पर श्री राम पुत्र पॉचू राम दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाव रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि वर्णित आराजीयात में वादी के पिता का नाम श्रीया पुत्र पांच्या ही नाम दर्ज चला आ रहा है। रिकार्ड का अवलोकन के आधार पर वादी के पिता का नाम श्री राम पुत्र पॉचू दर्ज रिकार्ड नहीं है। वादी के पिता का नाम श्रीया पुत्र पांच्या ही दर्ज चला आ रहा है। इसी अनुरूप तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट व बहस में कथन किया कि वादी का दावा इन्द्राज दुरुस्ती खारिज योग्य है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के ख0न0 166 रकवा 1.79 है0 मे वादी के पिता का नाम श्रीया पुत्र पॉच्या हिस्सा 1/3 जाति बैरवा दर्ज रिकार्ड है। वादी के आधार कार्ड न0 9213 3307 4407 मे वादी के पिता का नाम श्रीराम का अंकन है। तथा वादी के पिता का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचानपत्र कमांक डी.एल/03/033/252354 मे श्रीराम पुत्र पांचूराम का अंकन है तथा वादी के पिता का दिनांक 13.04.2009 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र मे श्रीराम पुत्र पांचू राम का अंकन है। इसलिये उक्त विवेचन अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम लुहारखेडा के आराजी ख0नं0 166 रकबा 1.79 है0 मे वादी के पिता का नाम श्रीया पुत्र पांच्या के स्थान पर श्री राम पुत्र पॉचू राम दर्ज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी/पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:43 IST
Reason: SelfAttested